बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं०–06 / विविध(स्पीड गवर्नर)–16 / 2016 1951 **पटना, दिनांक** 22/04/2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करती है कि 1 अप्रैल 2016 के पूर्व राज्य में निबंधित और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के उप नियम (1) के (I) से (IX) परन्तुक के अधीन नहीं आने वाले मोटरयानों में 1 अप्रैल 2016 को या उससे पूर्व समय–समय पर यथा संशोधित **AIS:018/2001** मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम पूर्व निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर उन यानों के ऑपरेटरों द्वारा फिट किए जाएगें या लगाये जाएगें।

परन्तु परिसंकटमय माल का वहन करने वाले परिवहन यानों और ऐसे परिवहन यान जो डम्पर, टैंकर है, में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तथा स्कूल बस में 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम पूर्व निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर लगाये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–06 / विविध(स्पीड गवर्नर)–16 / 2016 1951 पटना, दिनांक– 22/04/2016

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियां कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–06 / विविध(स्पीड गवर्नर)–16 / 2016 1951 पटना, दिनांक– 22/04/2016

प्रतिलिपि – सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी प्रवर्तन पदाधिकारी / सभी प्रवर्तन निरीक्षक / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1951 पटना, दिनांक– 22/04/2016

प्रतिलिपि – सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन आयुक्त / सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 1, संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली–110001 / S.D. Banga, Secretary, Committee on Road Safety R.No.-222-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

F:\6\Mukesh-2016.Docx.... 520